न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2014 पुनरीक्षण

1. पंकज तिवारी पुत्र विनोद तिवारी
2. अम्बुज तिवारी पुत्र विनोद तिवारी
3. आशुतोष तिवारी पुत्र विनोद तिवारी

निवासीगण ग्राम धाराबीमा तहसील मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जीतेन्द्र पुत्र केमला प्रसाद

निवासी ग्राम धाराबीमा तह. मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग -- अ

जिला रीवा

प्रकरण कमांक निगरानी 2131–तीन/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–7–2014	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मनगवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 8/अ–70/2013–14 में अंतरिम आदेश दिनांक 8–5–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष 250 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि ख.नं. 880 के अंश भाग रकवा 0.98 एकड़ पर अनावेदक द्वारा जबरन अवैध निर्माण किये जाने से रोकने के संबंध में पेश किया। पटवारी न जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें लेख किया ख.नं. 880/1, 880/2, 880/3, 880/4 के नाम दर्ज है और अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर 60X40 वर्गफुट पर निर्माण किया जा रहा है। आवेदक अभिभाषक द्वारा इस संबध में उनके स्वामित्व की भूमि के खसरे की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की गई। 3/ निगरानी में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पेश किया। तहसीलदार ने अपने आदेश पत्रिका दिनांक 12–3–14 में अनावेदक के विरूद्ध निर्माण कार्य रोके जाने संबंधी स्थगन आदेश जारी किया गया। तहसीलदार ने	

आगामी पेशी दिनांक 8–5–2014 को आवेदक के पक्ष में पूर्व में प्रदान स्थगन आदेश को इस आधार निरस्त किया गया है कि ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर स्थगन जारी करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। धारा 32 के तहत न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तहसीलदार द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 12–3–14 को तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाता है।''

4/ तहसीदार द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250(3) के तहत आवेदन पेश न कर संहिता की धारा 32 के तहत पेश किया गया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि अभिभाषक अथवा पक्षकार द्वारा की गई तकनीकी त्रुटि अथवा गलत धारा में प्रस्तुत आवेदन के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 32 के तहत राजस्व न्यायालय को ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायायल की प्रकिया के दुरूपयोग के निवारण के लिये आवश्यक है, देने की अन्तर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में 1994 म0प्र0 जुडी0 रिपोर्टर 200 पैरा 15 मनोहरलाल विरूद्ध हीरालाल में यह प्रतिपादित किया गया है कि – ''यादेश प्रार्थना पत्र पर विचाराधीन अवस्था में सुनवाई और निर्णय नहीं किये जाने पर न्यायालय अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करके मामले में यथास्थिति बनाय रखने का निर्देशात्मक आदेश दे सकता है।''

दर्शित परिस्थितियो में तहसीलदार को तकनीकी आधार पर आवेदक के पक्ष में जारी स्थगन निरस्त न कर प्रकरण की परिस्थितियों एवं गुणागुण पर निराकरण करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-5-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण में 89 दिवस के लिए मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाते हैं तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे तीन माह में प्रकरण के गुण-दोष पर निराकरण करें। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष न होने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य